



होटल प्रबंधन, खान पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, लखनऊ

(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय)

सेक्टर-जी, अलीगंज, लखनऊ, उ०प्र०-२२६०२४

वेबसाइट: www.ihmlucknow.com, संपर्क सं० ०५२२-४०७७४१४/४०७७४१५, ईमेल: ihmlucknow@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा संख्या: 1858/VII-4/2024-25

दिनांक: 24/02/2025

वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) के लिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में दो बोली प्रणाली के तहत सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं निम्नलिखित तिथि तक उपरोक्त पते पर पहुंच जानी चाहिए।

खाद्य सामग्री की आपूर्ति (किराना-राशन एवं हाउसकीपिंग सामग्री)

• अनुमानित बजट लागत	: ₹ 30,00,000/- प्रति वर्ष
• निविदा फॉर्म की बिक्री की तिथि	: 25/02/2025 (मंगलवार)
• पूर्व निविदा बैठक	: 06/03/2025 (गुरुवार)
• निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	: 17/03/2025 (सोमवार), शाम 5:00 बजे तक
• निविदा खोलने की तिथि	: 18/03/2025 (मंगलवार), पूर्वाह्न 11:00 बजे (तकनीकी/वित्तीय बोली)
• निविदा फॉर्म की लागत	: ₹ 2,000/- (केवल दो हजार) गैर वापसी योग्य
• ईएमडी @2% (वापसी योग्य)	: ₹ 60,000/- (केवल साठ हजार रूपये) सभी बोलीदाताओं के लिए
• सुरक्षा जमा (निष्पादन गारंटी)@5%	: ₹ 1,50,000/- (केवल एक लाख पचास हजार रूपये) केवल सफल बोलीदाताओं के लिए

निविदा दस्तावेज संस्थान के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं या संस्थान की वेबसाइट <https://www.ihmlucknow.com/tender-notice/> से निर्धारित समय के दौरान ₹ 2,000/- (गैर-वापसी योग्य) के भुगतान पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। भुगतान किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, "प्रिंसिपल, इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ" के पक्ष में या संस्थान कार्यालय में नगद रसीद के साथ किया जा सकता है। किसी भी संशोधन/परिशिष्ट या अन्य विवरण केवल संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। बोलीदाताओं को वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है।

ह०/-
प्रधानाचार्य

होटल प्रबंधन संस्थान लखनऊ





होटल प्रबंधन, खान पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, लखनऊ

(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय)

सेक्टर-जी, अलीगंज, लखनऊ, उ०प्र०-226024

वेबसाइट: www.ihmlucknow.com, संपर्क सं० 0522-4077414/4077415, ईमेल: ihmlucknow@gmail.com

तकनीकी बोली / निविदा फॉर्म

NITNo. 1858/VII-4/2024-25 Dated- 24/02/2025

खाद्य सामग्री की आपूर्ति (किराना-राशन एवं हाउसकीपिंग सामग्री)

फर्म/निविदाकर्ता का नाम	
फर्म/निविदाकर्ता का पता	
मोबाइल/फोन नंबर	
ईमेल आईडी (यदि कोई हो)	
फर्म के मालिक/साझेदार/निदेशक का पता (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/डोमिसाइल प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या (पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)	
एफ०एस०एस०ए०आई० लाइसेंस सं०. (एफ०एस०एस०ए०आई० लाइसेंस की प्रति संलग्न करें)	
निविदा फॉर्म खरीदने/डाउनलोड करने की तिथि	
निविदा फॉर्म शुल्क का विवरण (₹2,000/-) (निविदाकार द्वारा भरा जाना है)	
ईएमडी शुल्क का विवरण (₹60,000/-) (निविदाकार द्वारा भरा जाना है)	
घोषणा पत्र का पत्र (इस बात की घोषणा कि निविदाकर्ता को किसी भी राज्य सरकार/केंद्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्टमें नहीं डाला गया है)	
परिशिष्ट - B	

<p>पिछले तीन वर्षों का प्रमाण पत्र खाद्य सामग्री (किराना-राशन एवं हाउसकीपिंग सामग्री) की आपूर्ति का प्रमाण, जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों PSU, सरकारी विभागों, या निजी क्षेत्रों को किया गया हो। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कुल आदेशित मूल्य ₹20 लाख से अधिक होना चाहिए।</p>	
<p>नवीनतम तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न प्रमाणपत्रों की प्रतियां जो स्थायी खाता होने का संकेत दे रहे हैं</p>	
<p>निविदा फॉर्म जमा करने की तिथि</p>	

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित

नियम और शर्तें

1. निविदाओं की खोलने की तिथि **18/03/2025** है, समय पूर्वाह्न **11:00 बजे**, जो संस्थान की क्रय समिति द्वारा निविदाकर्ता/प्रतिनिधि की उपस्थिति/अनुपस्थिति दोनों स्थितियों में होगी।
2. निविदा अंतिम तिथि से 45 दिनों की अवधि तक वैध और स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। इससे कम अवधि के लिए वैध निविदा को उत्तरदायी नहीं माना जाएगा।
3. उद्धृत दरें अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि से एक वर्ष के लिए अथवा दिनांक **31.03.2026** तक के लिए वैध होनी चाहिए।
4. संस्थान, अंतिम तिथि तक निविदा दस्तावेज़ डाक विलंब या किसी अन्य कारण से प्राप्त न होने की दशा में जिम्मेदार नहीं होगा।
5. अनुमानित बजट लागत का 2% (₹60,000/-) जमानत राशि (रिफंडेबल) के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)/एफडीआर या बैंक गारंटी के माध्यम से "**प्रिंसिपल, इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिसन, लखनऊ**" के पक्ष में देय, विधिवत पूरी तरह भरे हुए निविदा फॉर्म के साथ जमा करना होगा।
6. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य सभी निविदा आवेदन जमानत राशि (ईएमडी) के बिना स्वीकार नहीं किए जाएंगे। असफल निविदाकर्ताओं की जमानत राशि सफल निविदाकर्ता को अनुबंध दिए जाने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। सफल निविदाकर्ता की जमा जमानत राशि सुरक्षा जमा के साथ समायोज्य/रिफंडेबल होगी।
7. सफल निविदाकर्ता को आपूर्ति आदेश पत्र जारी करने की तिथि से **10 दिनों के भीतर कुल अनुमानित बजट लागत का 5% (जमानत राशि को समायोजित करते हुए) सुरक्षा जमा के रूप में डीडी/टीडीआर या बैंक गारंटी** के माध्यम से जमा करना होगा और अनुबंध में प्रवेश करने से पहले आपूर्ति के लिए सहमत होना होगा।
नोट: यदि सफल निविदाकर्ता 10 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो निविदाकर्ता द्वारा जमा जमानत राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी। सुरक्षा जमा (निष्पादन गारंटी) जमा करने के बाद यदि सफल निविदाकर्ता आपूर्ति आदेश और अन्य नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो सुरक्षा जमा भी संस्थान द्वारा जब्त कर ली जाएगी। सफल निविदाकर्ता की सुरक्षा जमा केवल अनुबंध अवधि समाप्त होने के ही रिफंड की जाएगी।
8. किसी भी स्थिति में, संस्थान जमानत राशि (ईएमडी) और सुरक्षा जमा (निष्पादन गारंटी) पर कोई ब्याज देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
9. संस्थान स्वयं को सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता है और बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस मामले में कोई भी प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. निविदा प्रस्तावों को सील किए हुए लिफाफे में "**खाद्य सामग्री (किराना-राशन एवं हाउसकीपिंग सामग्री) की आपूर्ति के लिए निविदा**" लिखकर वित्तीय और तकनीकी निविदा (**दो अलग-अलग लिफाफे**) के रूप में अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाना चाहिए।
11. जहां बी०ओ०क्यू० (बिल ऑफ़ क्वॉंटिटी)– वित्तीय बोली सूची में एम०आर०पी० लिखा हुआ है, वहां दरें उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अन्य वस्तुओं को उद्धृत किया जाना चाहिए और किसी भी वस्तु (एम०आर०पी० के रूप में अंकित वस्तुओं को छोड़कर) को बिना दर दिए खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी खाली वस्तु/वस्तुओं के लिए दर नहीं दी जाती है, तो निविदा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। निविदाकर्ता के हित में यह सलाह दी जाती है कि सभी वस्तुओं (सिवाय उन वस्तुओं के जिनके लिए पहले से ही एमआरपी लिखा गया है) की कीमतों को दी गई मात्रा/इकाई के अनुसार ध्यानपूर्वक भरें।
12. सभी वस्तुओं के लिए अंतिम कुल निविदा दरें और राशि की गणना की जानी चाहिए और उसे शब्दों और अंकों में बिल ऑफ़ क्वॉंटिटी (बीओक्यू) में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। एल-1 को कुल दरों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि, एल-1 से एमआरपी वस्तुओं पर समग्र छूट पर बातचीत की जा सकती है। एमआरपी वस्तुओं पर न्यूनतम 3% छूट आगे की बातचीत के लिए आरक्षित है।
13. बिना उचित प्राधिकरण के किसी भी सुधार पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।



14. केवल संस्थान द्वारा प्रदान किए गए निविदा फॉर्म को भरकर, हस्ताक्षर व मुहर के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निर्धारित प्रारूप के अलावा प्राप्त निविदाएं तत्काल अस्वीकृत कर दी जाएंगी।
15. वस्तुओं के लिए ऑर्डर सामान्यतः दो दिन पहले दिया जाएगा। आपूर्ति, आपूर्ति तिथि से एक दिन पूर्व शाम 4:00 बजे तक तथा ताज़ी-शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए आपूर्ति उसी दिन सुबह 09:00 बजे तक की जानी चाहिए।
16. आपूर्ति की गई वस्तुएं सर्वोत्तम गुणवत्ता, सही मात्रा और मानक होनी चाहिए। निविदा फॉर्म में जो ब्रांड नाम उद्धृत किए गए हैं, वही ब्रांड आपूर्ति किया जाना चाहिए।
17. उद्धृत दरों में जीएसटी, सरचार्ज,डिलिवरी/हैंडलिंग या पैकिंग शुल्क आदि शामिल होने चाहिए।
18. एक बार दरों को मंजूरी मिलने के बाद वे अनुबंध की अवधि के दौरान समान रहेंगी और अनुबंध अवधि के दौरान दरों में वृद्धि का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। **अतः एक बार दरें तय हो जाने के बाद, लागत में वृद्धि की अनुमति नहीं होगी।**
19. आदेशित वस्तुओं को संस्थान परिसर में निर्धारित समय पर सही विनिर्देशन और मात्रा के साथ डिलीवर किया जाना चाहिए, **कोई भी अतिरिक्त डिलिवरी/भाड़ा शुल्क की अनुमति नहीं होगी।**
20. यदि कोई आपूर्ति असमर्थित पाई जाती है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा और ऐसी असमर्थित वस्तुओं की लागत बिल से घटा दी जाएगी।
21. यदि आदेशित वस्तुएं क्रय आदेश तदनुसार आपूर्ति नहीं की जाती हैं, तो संस्थान को वही वस्तुएं खुले बाजार से अधिक दरों पर खरीदनी पड़ सकती हैं, इस स्थिति में अतिरिक्त राशि या नुकसान (अंतर) और परिवहन शुल्क (यदि कोई हो) आदि बिल से घटा दिए जायेंगे या सुरक्षा जमा राशि से वसूले जायेंगे (यदि वसूली के लिए पर्याप्त बिल नहीं है तो)।
22. आपूर्ति के तुरंत बाद 15 दिनों के भीतर चालान तैयार कर जीएसटी नंबर के साथ मुद्रित बिलों पर दो प्रतियों/तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
23. सभी वस्तुएं एक दिन पूर्व शाम को 4:00 बजे तक और ताज़ी-शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए उसी दिन सुबह 09:00 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक यथास्थिति आपूर्ति कर दी जानी चाहिए। व्यावहारिक कक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी वस्तुओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। अन्य मामलों में जब परीक्षा या विशेष अवसरों के लिए आपूर्ति की तत्काल आवश्यकता हो, तो उसे अपेक्षित समय पर आपूर्ति की जानी चाहिए।
24. बिलों का भुगतान डिजिटल भुगतान मोड के माध्यम से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा, बिल प्राप्ति की तारीख से। भुगतान संबंधित नियमों के अनुसार किया जाएगा।
25. राशन-किराना एवं हाउसकीपिंग सामग्री के लिए सामूहिक रूप से तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाएगा तदनुसार, सफल निविदाकर्ता को अनुबंध प्रदान किया जाएगा।
26. यदि आपूर्ति संतोषजनक नहीं है/समय पर नहीं की जा रही है तो अनुबंध बिना किसी नोटिस के रद्द किया जा सकता है और EMD/सुरक्षा जमा राशि जब्त की जाएगी।
27. निविदा समिति को अधिकार है कि यदि L1 द्वारा उद्धृत दरें MRP/बाजार दरों के मुकाबले मनमानी प्रकृति की हैं, तो वह सीधे खुले बाजार से वस्तुएं खरीद सकती है और इस स्थिति में ऐसी वस्तुएं सूची से हटा दी जाएंगी।
28. विक्रेता की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी आदेशित वस्तुओं को सही मात्रा और गुणवत्ता के साथ व्यवस्थित कर पूरा करे और उसे संस्थान में निर्धारित समय सीमा के भीतर आपूर्ति करे। बिना पूर्व अनुमोदन के आंशिक आपूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आंशिक आपूर्ति को प्रत्येक खरीद आदेश के लिए ₹ 500/- का जुर्माना लगाया जा सकता है।
29. संस्थान के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी वस्तु को जिसे विक्रेता द्वारा अस्वीकार/डिलीवर नहीं किया गया है, खुले बाजार से खरीदे और ऐसी वस्तुओं की कीमत सहित अन्य खर्चे (परिवहन, बाजार परिवर्तन आदि) जो प्रक्रिया के दौरान हुए, विक्रेता से वसूले जाएंगे।
30. कीमतों में कर और आपूर्ति/डिलीवरी शुल्क शामिल होने चाहिए। छूट (यदि कोई है), तो उसे स्पष्ट रूप से और अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए।
31. L1 निविदाकर्ता से मोलभाव केवल उन वस्तुओं के लिए किया जा सकता है जो MRP आधार पर नहीं हैं। हालांकि, MRP पर छूट का प्रस्ताव निविदाकर्ता द्वारा किया जा सकता है।



32. यदि यह पाया जाता है कि निविदाकर्ता द्वारा किसी वस्तु के लिए उद्धृत यूनिट दरें असामान्य रूप से उच्च या असामान्य रूप से निम्न हैं, तो यह निविदा के अस्वीकृत होने का पर्याप्त कारण होगा, जब तक कि निविदा समिति यूनिट दरों की उचितता पर आश्वस्त न हो जाए।
33. अपूर्ण और गलत तरीके से भरी गई निविदाएं अस्वीकृत होने के लिए उत्तरदायी हैं और बिना हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव भी तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
34. बोलीदाता को नवीनतम तीन वित्तीय वर्षों की आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रदान करनी होगी, जिसमें स्थायी खाता संख्या (PAN) दी गई हो। GST पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रति भी निविदा फॉर्म के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
35. PSU/सरकारी विभागों/निजी क्षेत्रों को खाद्य सामग्री (किराना-राशन एवं हाउसकीपिंग सामग्री) की आपूर्ति में पिछले तीन वर्षों के अनुभव का प्रमाण ही मान्य होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष (तीन वर्ष) के लिए कुल ऑर्डर मूल्य 20लाख से अधिक होना चाहिए।
36. बोलीदाताओं को उन वस्तुओं के नमूने प्रस्तुत करने होंगे जिनके लिए दरें उद्धृत की गई हैं। सफल बोलीदाता के चयनित होने के बाद नमूनों को वापस किया जाएगा।
37. सभी खाद्य सामग्री (किराना और हाउसकीपिंग आइटम) प्रथम श्रेणी की होनी चाहिए और/या FSSAI पंजीकृत होनी चाहिए। बोली लगाने वाले के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी FSSAI लाइसेंस होना चाहिए।
38. सही पैकिंग के बिना सामग्री को अस्वीकृत किया जा सकता है और पैकिंग की लागत विक्रेता द्वारा वहन की जाएगी।
39. यह घोषणा पत्र कि बोलीदाता को किसी भी राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार या किसी PSU द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसे **परिशिष्ट - B** में संदर्भित किया गया है।
40. सशक्त समिति तकनीकी बोली का मूल्यांकन करेगी, जो पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों और निर्देशों का पालन करती हो, ताकि तकनीकी बोली का मूल्यांकन/समाप्ति किया जा सके। तकनीकी बोली की सफलता के बाद, वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी और उसी के अनुसार अंतिम रूप से तय की जाएंगी।
41. यदि निविदाकर्ता द्वारा ऊपर दिए गए शर्तों और शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो निविदा समिति को किसी भी समय निविदा अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा।
42. संस्थान बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया संचालित करने नहीं करने या निविदा को दोबारा विज्ञापित करने का / अधिकार सुरक्षित रखता है।
43. स्पष्टीकरण के बारे में किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, निविदा का अंग्रेजी संस्करण ही अंतिम माना जाएगा।



ह०/-
प्रधानाचार्य
होटल प्रबंधन संस्थान लखनऊ

तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक परिशिष्ट का विवरण:

- a) **परिशिष्ट-A** : निविदा शुल्क और EMD जमा करने के संबंध में शपथ पत्र/घोषणा।
- b) **परिशिष्ट-B** : केंद्रीय/राज्य सरकार या PSU द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र/घोषणा।
- c) **परिशिष्ट-C** : अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के संबंध में घोषणा।
- d) **परिशिष्ट-D** : सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र।

वित्तीय निविदा के साथ प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक परिशिष्ट का विवरण:

- e) **परिशिष्ट-E** : खाद्य सामग्री की खरीद के लिए मात्राएँ/यूनिट का बिल (BOQ)।

(निविदाकर्ता के लेटरहेड पर)

सेवामें,
प्रधानाचार्य
होटल प्रबंधन, खान पान प्रौद्योगिकी
एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान,
लखनऊ 200010 ।

विषय: NIT No. 1858/VII-4/2024-25 दिनांक – 24/02/2025

महोदय,

मैं/हम यहाँ पर **होटल प्रबंधन, खान पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, लखनऊ 200010** के प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए खाद्य सामग्री (किराना-राशन एवं हाउसकीपिंग सामग्री) की आपूर्ति हेतु निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों और नियमों को स्वीकार करते हैं और हम पुष्टि करते हैं कि निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर हमारे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और अधिकृत व्यक्ति की मुहर भी लगी हुई है।

मैं/हम ने रु. 60,000/- की राशि DD/FDR या बैंकर का चेक क्रमांक _____ दिनांक _____ के द्वारा लखनऊ में "प्रिंसिपल, इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिसन, लखनऊ" के पक्ष में एर्नेस्ट मनी डिपॉजिट/बयाना राशि (बिड सुरक्षा) के रूप में भुगतान किया है, जो संलग्न है।

मैं/हम समझते हैं कि बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और यदि मैं/हम संस्थान द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का पालन नहीं करते हैं या आवश्यक दस्तावेज/सुरक्षा जमा प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह राशि संस्थान द्वारा जब्त की जा सकती है।

एर्नेस्ट मनी/बयाना जमा की गई राशि को (सफल निविदा होने की स्थिति में) सुरक्षा जमा में समायोजित किया जा सकता है या (असफल निविदा होने की स्थिति में) हमें वापस की जा सकती है, जब तक कि उक्त राशि या उसका कोई भाग जब्त नहीं किया गया हो।

दिनांक: _____

नाम और पूरा पता (ब्लॉक अक्षरों में): _____

दूरभाष संख्या: _____

मोबाइल नंबर: _____

ईमेल पता: _____

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

(निविदाकर्ता के लेटरहेड पर)

प्रतिज्ञा पत्र

मैं/हम _____ ने NIT No.1858/VII-4/2024-25 दिनांक - 24/02/2025 के अंतर्गत प्रशिक्षण खाद्य सामग्री (किराना-राशन एवं हाउसकीपिंग सामग्री) की आपूर्ति हेतु निविदा दस्तावेज की शर्तों और नियमों को पढ़ा है और इन्हें सख्ती से पालन करने का वचन देते हैं। मैं/हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम/हमारी फर्म को केंद्रीय/राज्य सरकार और/या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा "ब्लैक लिस्टेड" नहीं किया गया है।

दिनांक: _____

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

(निविदाकर्ता के लेटरहेड पर)

घोषणा-पत्र-निर्दिष्ट हस्ताक्षरी

मैं, श्री/श्रीमती, श्री के पुत्र/पुत्री/पत्नी, उपरोक्त आपूर्तिकर्ता का स्वामी/अधिकृत हस्ताक्षरी, इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने और इस निविदा दस्तावेज को लागू करने के लिए सक्षम हूं। मैंने NIT No. 1858/VII-4/2024-25 दिनांक 24/02/2025 की सभी शर्तों और नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और उनका पालन करने का वचन देता हूं। उपरोक्त आवेदन के साथ प्रदान की गई जानकारी/दस्तावेज मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रामाणिक हैं। मैं/हम भली-भांति जानते हैं कि कोई भी झूठी जानकारी/नकली दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निविदा को किसी भी चरण में निरस्त किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त उचित कानून के तहत कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।


अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

पूरा नाम:

तारीख: _____

स्थान: _____

सील



(बैंक के लेटरहेड पर)

बैंक गारंटी (BANK GUARANTEE)

सेवामें,
प्रधानाचार्य
होटल प्रबंधन, खान पान प्रौद्योगिकी
एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान,
लखनऊ-200001 ।

जहां तक, मेरे ग्राहक मेसर्स _____ (जिसे इसके बाद "बोलीदाता" कहा जाएगा) की ओर से हम पुष्टि करते हैं कि हम गारंटर हैं और बोलीदाता की ओर से आपके प्रति कुल ₹ 150000/- (गारंटी की राशि) **रुपये एक लाख पचास हजार मात्र** (शब्दों में) तक के लिए उत्तरदायी हैं, वह राशि भारतीय रुपये में देय होगी जिसमें अनुबंध मूल्य देय है, और हम बिना किसी विरोध या तर्क के आपकी पहली लिखित मांग पर, पूर्वोक्त अनुसार ₹ 150000/- (**रुपये एक लाख पचास हजार मात्र**) की सीमा के भीतर कोई भी राशि या राशियां, उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए आपकी मांग के लिए आधार या कारण दिखाने या साबित करने की आवश्यकता के बिना, आपको भुगतान करने का वचन देते हैं।

हम आगे यह सहमति व्यक्त करते हैं कि यदि अनुबंध की शर्तों, आपूर्ति की शर्तों या किसी भी अनुबंध दस्तावेज़ में कोई भी बदलाव, जोड़ या संशोधन जो आप और बोलीदाता के बीच किया जाएगा, हमें इस गारंटी के तहत किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा, और हम इस तरह के किसी भी बदलाव, जोड़ या संशोधन की सूचना से छूट प्राप्त करते हैं।

यह गारंटी उस तिथि से लेकर 31.05.2026 तक वैध रहेगी, जब अनुबंध की समझौता हस्ताक्षरित होगी।

गारंटर का हस्ताक्षर और मुहर

बैंक का नाम: _____

पता: _____

तारीख: _____

राशि को गारंटर द्वारा अनुबंध की मूल्य का प्रतिशत दर्शाने के लिए भरा जाएगा और इसे भारतीय रुपये में व्यक्त किया जाएगा।